224

नवीन पु० 3850/14

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर
पु0 क0 /2014 रिवीजन निगरानी 3850/II/2014

1:- विशाल पुत्र विजय जाति जैन निवासी जैन मंदिर गली स्टेशन रोड गंजबासोदा

2:- पुरुषोत्तम पुत्र ताराचंद जाति महलवार निवासी हनुमान चौक गंज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 ------रिवीजनकर्ता- गण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि.
द्वारा आज दि. 20.11.14
प्रस्तुत
20-11-14

बनाम

1:- अजीत कुमार पुत्र दीपचंद

2:- श्रीमति सावित्रीदेवी उर्फ गायत्रीदेवी वेवा बहादुरसिंह जाति गूर्जर निवासी जैन मंदिर गली गंज बासोदा जिला विदिशा

3:- हुकमसिंह पुत्र कल्लूसिंह निवासी वार्ड नं0 5 मील रोड गंज बासोदा जिला विदिशा

4:- प्रागसिंह पुत्र नारायणसिंह रघुवंशी निवासी जय स्तम्भ चौक गंज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 ---- प्रति, रिवीजनकर्ता

DChaturvedi
20/11/14

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश तारीख 30/10/2014 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा प्र0 क्र0 73/अपील 2013-14 अजीतकुमार बनाम विशाल आदि भूमि स्थित ग्राम रजोदा तहसीलबासोदा

==================================

श्री मान महोदय

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिरिवीजनकर्ता क्र0 1व 2 द्वारा ग्राम रजोदा तेहसील गंज बासोदा की आराजी नं0 195/2, 198/1

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3850-दो/14 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	